

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 25, 1979/माघ 5, 1900
No. 46] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1979/MAGHA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1979

(निर्यात-व्यापार नियंत्रण)

का०ख० 53 (ख) सं० ई०सी०ओ० 1977/ए०एम० (94) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन
करने के लिये निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी
जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश, 1977 में छुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 72 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :—

1	2	3	4
"73	जीरा बीज	बी० 18(ii)	सभी रूपों में जीरा बीज के निर्यात की स्वीकृति, सभी स्वीकृत गन्तव्य के लिये होगी।"

[मिसिल सं० 28/3/78-ई०-1]
का०वें० शेषाद्रि, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th January, 1979

(EXPORT TRADE CONTROL)

S.O. 53(E) No. E(C)O, 1977/AM(94).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Eleventh Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL. 3, the following shall be added after S.No.72. :

1	2	3	4
"73	Cummin Seeds	B.18(ii)	Export of Cummin Seeds—in all forms, allowed to all permissible destinations."

[F. No. 28/3/78/E-1]
K.V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports